रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 137] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 1969/भाद्र 7, 1891

No. 137] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 1969/BHADRA 7, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

**Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.**

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### RESOLUTION

*New Delhi, the 28th August 1969*

**No. 22/1/69-S.R.**—The term of the Committee to determine the surplus relateable to Telengana, appointed under the Ministry of Home Affairs' Resolution of even number dated 22nd April 1969 is further extended upto 31st October 1969.

**ORDER**

Ordered that a copy of this Resolution be published in the Gazette of India and communicated to the Chairman and members of the Committee.

Ordered also that a copy of this Resolution be communicated to the Government of Andhra Pradesh, all Ministries of the Government of India, etc.

L. P. SINGH, Secy.

## गृह मंत्रालय

### संकल्प

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 1969

**सं० 22/1/69-एस० आर०.**—दिनांक 22 अप्रैल, 1969 को इसी संख्या के गृह मंत्रालय के संकल्प के अधीन नियुक्त की गई, तेलंगाना से सम्बन्धित विषय को निर्धारित करने के लिए समिति की अवधि आगे 31 अक्तूबर, 1969 तक बढ़ा दी गई है।

### आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों को प्रेषित की जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि आंध्र प्रदेश को, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों आदि को प्रेषित की जाये।

ल० प्र० सिंह, सचिव।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1969